

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

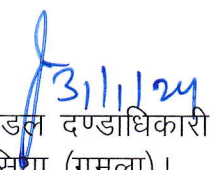
धारा 107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष – उमलेश उरॉव ।

बनाम

वाद सं0 41 / 2023

द्वितीय पक्ष – ललित उरॉव बगैरह ।

आदेश की क्र० सं० एवं तिथि	<u>दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर</u>	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
	थाना पालकोट के अप्राथमिकी सं० 09 / 2023 दिनांक 15 / 05 / 2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम पक्ष (1) उमलेश उरॉव, उम्र 40 वर्ष पिता स्व० सोमरा उरॉवा ग्राम पेटसेरा, थाना पालकोट, जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) ललित उरॉव, उम्र 36 वर्ष पिता स्व० सोमरा उरॉव, ग्राम पेटसेरा, थाना पालकोट जिला गुमला के बीच पैसा को लेकर विवाद एवं तनाव हैं। फलस्वरूप उभय पक्षों के द्वारा शांति फैलाने की सम्भावना है। उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :- उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी पालकोट या अन्य स्रोत से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं। अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समयावधि में किसी प्रकार की शांति भंग होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद की कार्रवाई की समयअवधि समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित ।  31/1/24 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)।	